बिहार विधान परिषद

माननीय सभापति महोदय

गोपालगंज जिला के फुलवरिया प्रखंडान्तर्गत सेलार खुर्द पकौली, वर्दो, पकौली नारायण विषनपुरा,धुसापर आदि गांवों के लोगों को प्राथमिक स्वास्थ्य उप केन्द्र के अभाव मे चिकित्सा कराने में काफी असुविधा हो रही है।

जनहित में स्वास्थ्य चिकित्सा सुविधा हेतु प्राथमिक स्वास्थ्य उप केन्द्र की स्थापना के लिए सिविल सर्जन,गोपालगंज से जमीन के साथ प्रस्ताव की मांग की गई है जबकि सरकार को मौजा – सेलार खुर्द ,थाना नं0- 872,खाता नं0- 133, खेसरा नं0- 260,चौहददी उत्तर खेसरा नं0 हाजा, दक्षिण -रास्ता ,पूरब –खेसरा नं0- हजारा ,पश्चिम खेसरा नं0 हाजा आम गैर मजरूआ जमीन रहने की पूर्व से सूचना है।

अत: उपर्युक्त वर्णित तथ्यो के आलोक में जनहित में उक्त जमीन पर प्राथमिक स्वास्थ्य उपकेन्द्र शीध्र बनाने के संबंध में सरकार में स्पष्ट वक्तव्य की मांग करता हूं।

1. ह0/- सुबोध कुमार, स0वि0प0
2. ह0/- दिलीप राय, स0वि0प0 एवं
3. ह0/- राजेश राम, स0वि0प0

ज्ञापांक: वि0प0अ0प्र080/2018 - 514 (1) /वि0प0 पटना,दिनांक- 07.03.2018

प्रतिलिपि बिहार विधान परिषद् के माननीय सदस्यगण / माननीय मुख्यमंत्री सहित अन्य माननीय मंत्रीगण बिहार/ मुख्य सचिव ,बिहार/ संसदीय कार्य विभाग बिहार/ स्वास्थ्य विभाग,बिहार/ प्रश्न शाखा/ निवेदन शाखा एवं विधेयक शाखा,बिहार विधान परिषद् को सूचनार्थ (एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु) प्रेषित ।

2. माननीय सदस्य दिनांक-13/3/2018 को बिहार विधान परिषद् में सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगें।

3. (-) केवल संबंधित विभाग के लिए ।

नवल किशोर सिंह
(नवल किशोर सिंह) 07.3.18
अवर सचिव
बिहार विधान परिषद्।

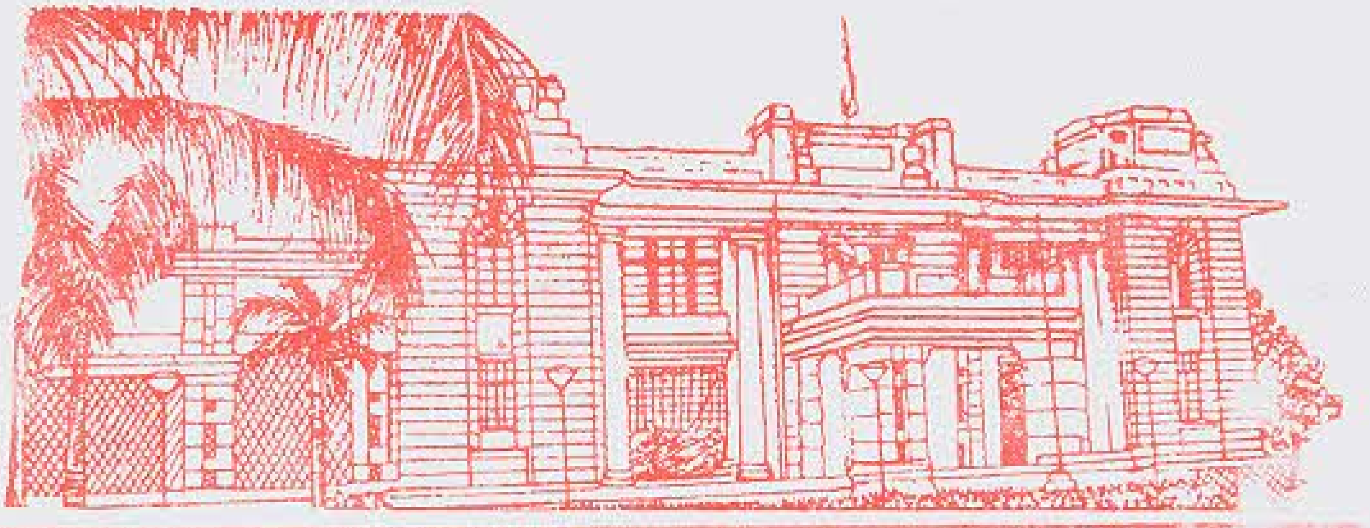

बिहार विधान परिषद

माननीय सभापति महोदय

दरभंगा चिकित्सा महाविद्यालय हॉस्पीटल (डी.एम.सी.एच.) लहेरियासराय की स्थापना 1925 में दरभंगा महाराजा श्री रामेश्वर सिंह की उदार दानशीलता के कारण मेडिकल स्कूल के रूप में हुई। उन्होंने इस संस्थान की स्थापना के लिए 200 एकड़ जमीन एवं 5,00,000/- (पांच लाख)रूपये दानस्वरूप दिए। सन् 1946 में यह स्कूल,कॉलेज के रूप में उत्क्रमित हुआ। पूर्ववर्ती छात्रों द्वारा स्वयं वित्तीय भार वहन करते हुए महाराजा रामेश्वर सिंह की आदमकद संगमरमर की प्रतिमा उक्त मेडिकल कॉलेज परिसर में स्थापित करने हेतु बनवाई गई जो उपेक्षित पड़ी है। इसे ओल्ड भवन के सामने अधिष्ठापित करने की अनुमति कॉलेज प्रशासन द्वारा नहीं दी जा रही है, जिससे पूववर्ती छात्रों एवं स्थानीय नागरिकों में रोष एवं क्षोभ व्याप्त है।

उल्लेखनीय है कि वर्ष 2015 में स्वास्थ्य विभाग की अधिसूचना सं0- 986 (1) दिनांक- 3/9/2015 के आलोक में उक्त महाविद्यालय के ऑडिटोरियम का नामकरण प्रसिद्ध नेत्र चिकित्सक एवं पूर्व प्राचार्य स्व0 (डॉ0) एच. एन. यादव ऑडिटोरियम किया गया है । जबकि प्रशासन के द्वारा इस भेदभावपूर्ण कार्रवाई से छात्रों, स्थानीय नागरिकों में क्षोभ एवं रोष व्याप्त है।

अत: मैं उपरोक्त मूर्ति स्थापना के संबंध में सरकार से सदन में एक स्पष्ट वक्तव्य की मांग करता हूं।

1. ह0/-दिलीप कुमार चौधरी, स0वि0प0
2. ह0/-अशोक चौधरी , स0वि0प0
3. ह0/- तनवीर अख्तर, स0वि0प0 एवं
4. ह0/- राम चन्द्र भारती, स0वि0प0

ज्ञापांक: वि0प0अ0प्र0 79/2018 – 513 (1) /वि0प0 पटना,दिनांक- 07.03.2018

प्रतिलिपि बिहार विधान परिषद् के माननीय सदस्यगण / माननीय मुख्यमंत्री सहित अन्य माननीय मंत्रीगण बिहार/ मुख्य सचिव ,बिहार/ संसदीय कार्य विभाग बिहार/ स्वास्थ्य विभाग,बिहार / प्रश्न शाखा/ निवेदन शाखा एवं विधेयक शाखा,बिहार विधान परिषद् को सूचनार्थ (एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु) प्रेषित ।

2. माननीय सदस्य दिनांक-13/3/2018 को बिहार विधान परिषद् में सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगें।

3. (-) केवल संबंधित विभाग के लिए ।

नवल किशोर सिंह 07.03.2018
(नवल किशोर सिंह)
अवर सचिव
बिहार विधान परिषद्।

बिहार विधान परिषद

माननीय सभापति महोदय

राज्य में कैंसर से पीड़ित लगभग ढाई लाख मरीज है। एक रिपोर्ट के अनुसार हर साल करीब अस्सी हजार नये मरीज राज्य में चिन्हित किये जा रहे हैं। बिहार में कैंसर से मरने वालों की संख्या भी अपेक्षाकृत अन्य राज्यों से अधिक है। विशेषज्ञों के अनुसार कैंसर जानलेवा बीमारी नहीं है, यदि समय रहते इसका पता चल जाए तो इलाज संभव है। इसकी मूल वजह लोगों में जागरूकता की कमी और कैंसर जांच केन्द्र पर्याप्त संख्या में नहीं होना है और सूबे के अस्पतालों में कैंसर विशेषज्ञों की कमी एवं दवा का अभाव भी इसका एक कारण है।

अत: ऐसी गंभीर बीमारी के रोकथाम हेतु कैंसर जांच केन्द्र,जागरूक,कैंसर विशेषज्ञ की व्यवस्था एवं दवा की उपलब्धता के संबंध में सरकार से सदन मे एक स्पष्ट वक्तव्य की मांग करता हूं।

ह0/- रजनीश कुमार
स0वि0प0

ज्ञापांक: वि0प0अ0प्र078/2018 - 512 (1) /वि0प0 पटना,दिनांक- 07.03.2018

प्रतिलिपि बिहार विधान परिषद् के माननीय सदस्यगण / माननीय मुख्यमंत्री सहित अन्य माननीय मंत्रीगण बिहार/ मुख्य सचिव ,बिहार/ संसदीय कार्य विभाग बिहार/ स्वास्थ्य विभाग,बिहार /प्रश्न शाखा/ निवेदन शाखा एवं विधेयक शाखा,बिहार विधान परिषद् को सूचनार्थ (एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु) प्रेषित।

2. माननीय सदस्य दिनांक-13/3/2018 को बिहार विधान परिषद् में सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगें।

3. (-) केवल संबंधित विभाग के लिए।

नवल किशोर सिंह 07.03.2018
(नवल किशोर सिंह)
अवर सचिव
बिहार विधान परिषद्।